न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **25 / 2023**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
हेमाराम पुत्र चूनाराम निवासी– झालामलिया, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला–जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के द्वारा प्रकरण कमांक राजस्व / 2021 / 43 दिनांक 08.10.2021 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 20 फरवरी, 2023

प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ, जिला जोधपुर के द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व / 2021 / 43 निर्णय दिनांक 08.10.2021 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत कर ग्राम झालामलिया के ख0सं0 623 / 1, 623, 631, 632, 628, 642, 644, 645, 667, 666 कुल 10 खसरान भूमि में से रकबा 1.2948 हैक्टर भूमि पर मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8.10.2021 को आदेश पारित कर वर्णित भूमि में से रास्ता घोषित कर दिया। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 29.05.2022 को सरपंच प्रतिनिधि पटवारी हल्का को लेकर मौके पर नापतौल करवाने आये तब उन्होंने बताया कि आपके खेत में रास्ता बनाना है ऐसा आदेश हो रखा है। तब अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति दिनांक 02.06.2022 प्राप्त करते हुए अपील पेश करने की कार्यवाही की। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होने से अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलान्ट ने यह अधिवक्ता ने मुख्यतः यह कथन किया कि उक्त खसरों में से खसरा संख्या

632 अपीलान्ट की खेत खातेदारी का है। उक्त खसरान भूमि के बीचों–बीच में से कोई रास्ता नहीं चल रहा था, उसके उपरान्त भी भूमि में से रास्ता घोषित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को न तो दर्ज रजिस्टर किया और न ही सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया तथा मनमाने ढंग से अपीलान्ट के ख0सं0 632 को दो भागों में विभाजित कर दिया। ऐसें में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त खसरान भूमि में से ख0सं0 623 के खातेदार चेनाराम पुत्र नवलाराम का देहान्त तहसीलदार की ओर से प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश होने से पूर्व ही हो गया था। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 8.10.2021 को पारित आदेश को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

हमने अपीलान्ट के द्वारा किये गये कथनों पर मनन किया एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा जारी एकतरफा आदेश दिनांक 8.10.2021 के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील व उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार सम्बन्धित काश्तकारान की सुनवाई व उनकी उपस्थिति में मौका मुआयना किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही खसरा संख्या 623 के खातेदार का अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पहले फौत होना प्रतिवेदित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अपील के अवलोकन, विश्लेषण उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.10.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए खसरा संख्या 632, 623 के लिये उक्त आदेश अपास्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ हितबद्ध पक्षकारान की विधिवत सुनवाई व तहसीलदार से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में ख0सं0 632, 623 की मौका रिपोर्ट तलब की जाकर नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों की पालना करते हुए ख0सं0 632, 623 के लिये पूर्व में जारी आदेश में यथाआवश्यक संशोधन पश्चात पुनः आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर